

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 16/2021

अनवान:-

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, रतनपुरा ।
2. सर्वजीत कौर पत्नि श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध पट्टा सं. 46 दिनांक 18.07.2018 ग्राम पंचायत रतनपुरा तहसील संगरिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत गैर निगरानीकर्ता सं. 02 के पक्ष में बिना तथ्यों की जांच किए दिनांक 05.08.2018 को पट्टा विलेख जारी किया गया बमुराद मनसुखी पट्टा व स्वीकार किए जाने निगरानी।

उपस्थित:-

- 1 श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अभिभाषक निगरानीकर्ता।
- 2 श्री वतनदीपसिंह मान अप्रार्थी सं. 2

-:निर्णय:-

दिनांक:-11.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता व उसके भाईयों सर्वश्री सरजीत सिंह, मलकीत सिंह, दल सिंह पुत्र गुज्जर सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा के नाम से ग्राम पंचायत रतनपुरा की पुरानी आबादी में एक आवासीय मकान खसरा नं. 418 है जो सर्वश्री सरजीत सिंह, मलकीत सिंह, दल सिंह पुत्र गुज्जर सिंह के नाम तत्कालीन ग्राम पंचायत नगराना के द्वारा दिनांक 21.06.1959 को पंचायत रिकार्ड खसरा आबादी दरमयानी में दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत रतनपुरा के रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नं. 418 के उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण मेरे पिता व ताया ने आपस में मिलकर सांझा करवाया हुआ था। इस भूखण्ड के आगे दल सिंह पुत्र गुज्जर सिंह ने अपने जीवन में बने मकान के आगे और बने दरवाजा का अपने खर्च पर पुनः निर्माण करवाया था। दल सिंह ग्राम पंचायत रतनपुरा के करीब 40 वर्ष पूर्व सरपंच रहे थे। ग्राम पंचायत रतनपुरा के रिकार्ड में खसरा नं. 418 का भूखण्ड आज भी संयुक्त रूप से सरजीत सिंह, मलकीत सिंह व दलसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता, चाचा व ताया द्वारा अपने कारोबार के सिलसिले में रतनपुरा छोड़कर जयपुर रहने चले गए और अपना मकान जगसीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह व पत्नि सर्वजीत कौर निवासी फतेहकेरा तहसील लम्बी जिला मुक्तसर साहब हाल रतनपुरा को संभला दिया। जसगीर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत रतनपुरा जिसके सरपंच सतपाल राहड़ थे। उन्हें इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि मकान नं. 418 में बने मकानात व मालिक निगरानीकर्ता व उसका परिवार लेकिन तत्कालीन सरपंच सतपाल राहड़ व ग्राम पंचायत रतनपुरा के सचिव शिवभगवान कूकना ने आपस में मिलकर पत्र रचकर निगरानीकर्ता के पिता, चाचा व ताया के नाम स्थित भूखण्ड जो उनकी मूल मालिकाना निगरानीकर्ता व उसके परिवार के स्वामित्व में आ गया। उसका जानबुझकर पट्टा सर्वजीत कौर के नाम से बना दिया तथा उसे उप पंजीयक, संगरिया के यहां पंजीबद्ध करवा दिया उक्त पट्टा फर्जी व कुटरचित है। प्रार्थी निगरानीकर्ता निम्न आधारों पर आक्षेपित पट्टा को निरस्त करवाने का अधिकारी है:-

30
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ



आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा संकल्प सं. 02 के माध्यम से जारी करना बताया गया है। जबकि ग्राम पंचायत रतनपुरा को ऐसा संकल्प पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। क्योंकि ग्राम पंचायत रतनपुरा के पास जो रिकार्ड उपलब्ध है उस रिकार्ड में खसरा नं. 418 भूखण्ड निगरानीकर्ता के पिता व चाचा के नाम से दर्ज है। ग्राम पंचायत रतनपुरा को पूर्व में जारी मालिकाना हक के खसरा आबादी दरमियानी रिकार्ड के ऊपर दूसरा पट्टा जारी करने के कोई विधिक अधिकारिता नहीं थी। निगरानीकर्ता व उसके परिवार के मालिकाना हक को ग्राम पंचायत रतनपुरा अविधिक प्रस्ताव के जरिये किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में आक्षेपित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित पट्टा निगरानीकर्ता के परिवार की सम्पत्ति पर जारी किया गया है। जबकि आक्षेपित पट्टा में आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर कब्जा के सदर्थ में ही जारी किया जा सकता है। आक्षेपित पट्टा में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत की भूमि नहीं है, ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त भूखण्ड मलकीत सिंह, दल सिंह पुत्र गुज्जर सिंह के नाम से जारी किया हुआ है। आक्षेपित पट्टा में वर्णित भूमि के सदर्थ में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 23.03.2021 को ग्राम पंचायत के रिकार्ड से खसरा आबादी दरमियानी की नकल ली गई है, जिसमें खसरा नं. 418 की भूमि का मालिक दल सिंह व मलकीत सिंह को दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा इस भूखण्ड में दिनांक 27.08.2011 को भी एक इन्द्राज किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को खसरा नं. 418 के भूखण्ड के मालिक का पता था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर उक्त आक्षेपित पट्टा जारी किया है।



ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित पट्टा के रजिस्ट्रेशन में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रतनपुरा के व सरपंच, ग्राम पंचायत रतनपुरा के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित पट्टा सं. 46 दिनांक 18.07.2018 अवैध व शून्य दस्तावेज है। ग्राम पंचायत को अवैध व शून्य पट्टा के आधार पर उक्त पट्टा को पंजीबद्ध करवाने की कोई विधिक अधिकारिता नहीं थी आक्षेपित पट्टा जो दिनांक 24.05.2019 को पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 502 में पृष्ठ सं. 16 क्रम सं. 201903419101387 पर पंजीबद्ध किया गया है वह अवैध व शून्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे पर नोट लगाया गया है दस्तावेजों के गलत पाया जाने पर निरस्त किये जाने नोट अकिंत से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा स्वतः ही संदिग्ध लगता है।

निगरानीकर्ता को पूर्व में आक्षेपित पट्टा की जानकारी नहीं थी, निगरानीकर्ता द्वारा अब गांव में आने पर निगरानीकर्ता को आक्षेपित पट्टा के बारे में जानकारी हुई। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने व भूमि की खसरा आबादी दरमियानी लेने के उपरांत निगरानीकर्ता को जानकारी होने के बाद निगरानीकर्ता द्वारा अन्दर मियाद यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगरानीकर्ता सं० 01 से रिकार्ड तलब कर आक्षेपित पट्टा निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा ऐसी स्थिति में आक्षेपित पट्टा सं. 46 दिनांक 18.07.2018 अवैध व शून्य दस्तावेज है। ग्राम पंचायत को अवैध व शून्य पट्टा के आधार पर उक्त पट्टा को पंजीबद्ध करवाने की कोई विधिक अधिकारिता नहीं थी। आक्षेपित पट्टा जो दिनांक 24.05.2019 को पुस्तक सं. 01 जिल्द सं. 502 में पृष्ठ सं. 16 क्रम सं. 201903419101387 पर पंजीबद्ध किया गया है वह अवैध व शून्य है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं० 02 ने अपनी बहस के समर्थन में इस प्रकार कथन किये ग्राम पंचायत, रतनपुरा पंचायत समिति संगरिया द्वारा जारी पट्टा सं. 46 दिनांक 18.07.2018 वैध है। आवासीय मकान खसरा नं. 418 निगरानीकार का है ऐसा कोई दस्तावेज नहीं। विचाराधीन पट्टे को चुनौती/चैलेंज केवल सुरेन्द्रसिंह ने किया है, जबकि अन्य सभी को पक्षकार नहीं बनाया। अभिभाषक निगरानीकर्ता के कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं। गोविन्द व सर्वजीत कौर के पति ने मकान बनवाया था, पानी बिजली के बिल है। ग्राम

पंचायत द्वारा नियमानुसार बाद जांच पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार के निवास का कोई दस्तावेज नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर लगा नोट रूटिन नोट है। यह भी साबित नहीं है कि निगरानी में अंकित भूमि खसरा नं० 418 का भाग है और खसरा नं० 418 की भूमि का स्वामित्व निगरानीकार का है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। समय समय पर धारा 05 मियाद अधिनियम के बिन्दू पर मत प्रतिपादित किये गये हैं कि क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित आदेश शुरु से शून्य होने के कारण तथा निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण इस पर मियाद अधिनियम लागू नहीं होता है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। अवलोकन में पाया कि:-

1. ग्राम पंचायत प्रारूप 23क के तहत 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के जारी कर सकता है, यदि इससे अधिक क्षेत्रफल का जारी करता है तो राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश पर नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत फीस प्रभारित की जाती है। ग्राम पंचायत, रतनपुरा पंचायत समिति संगरिया द्वारा जारी पट्टा सं. 46 दिनांक 18.07.2018 जो कि 75 x 50 वर्गफुट (416.66 वर्गगज) पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होकर जारी किया गया है। क्षेत्राधिकार से बाहर जारी होने पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के तहत ज्यादा की फीस भी नहीं ली गयी है।

2. कार्यालय जिला परिषद हनुमानगढ़ की जांच प्रतिवेदन के अनुसार:-

(अ) ग्राम पंचायत, रतनपुरा, पंचायत समिति, संगरिया के ग्राम विकास अधिकारी श्री पंचमलाल से पुरानी आबादी खसरा रजिस्टर के रिकॉर्ड की प्रतिलिपि चाही गयी। खसरा रजिस्टर 418 की प्रतिलिपि के अनुसार केफियत में बहुकम ग्राम पंचायत, नगराना द्वारा श्री सरजीत सिंह, श्री मलकीत सिंह, श्री दलसिंह पिता श्री गुजर सिंह के बराबर हिस्सा मंजूर किया गया का अंकन है।

(ब) ग्राम पंचायत, रतनपुरा की उक्त प्रकरण से संबंधित क्रमांक संख्या 80 दिनांक 21.12.2021 रिकॉर्ड व मौका फर्द रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी। उक्त रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1. पुरानी आबादी खसरा नम्बर 411 का पृष्ठ ग्राम पंचायत रतनपुरा में उपलब्ध रजिस्टर में नहीं है, व नक्शे में अधूरा अंकन है। उक्त खसरा नम्बर 411 में उपलब्ध नक्शे अनुसार सर्वजीत कौर पत्नी श्री जंगसीर सिंह का पट्टा संख्या 46 दिनांक 05.08.2018 द्वारा ग्राम पंचायत, रतनपुरा से जारी है उक्त पट्टे की मूल मिसल तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवभगवान कूकणा द्वारा चार्ज सौपते समय चार्ज देने वाले को नहीं सौंपी गई।

2. पुरानी आबादी भूमि ग्राम पंचायत, रतनपुरा के खसरा नम्बर 418 के उपलब्ध पृष्ठ के अनुसार उक्त खसरे का कुल रकबा 8942.75 दरगज है, जो कि श्री सरजीत सिंह, श्री मलकीत सिंह व श्री दलसिंह पिसरान श्री गुजर सिंह के नाम सन 1959 में अंकित है। उक्त खसरा संख्या में श्री गोविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह का पट्टा संख्या 48 दिनांक 05.08.2018 द्वारा ग्राम पंचायत, रतनपुरा से जारी है। उक्त पट्टे की मूल मिसल तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवभगवान कूकणा द्वारा चार्ज सौपते समय चार्ज देने वाले को नहीं सौंपी गई है।



3. मौके पर उक्त पटाधारियों सर्वजीत कौर व श्री गोविन्द सिंह से पुरानी आबादी के खसरा संख्या 411 व 418 के क्रय संबंधी दस्तावेज यथा हल्फनामा रजिस्ट्री, बंटवारनामा, बैयनामा आदि कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

(स) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रतनपुरा ने ग्राम पंचायत, रतनपुरा के तत्कालीन संरपच श्री सतपाल राहड व ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवभगवान कूकणा के कार्यकाल में जारी पट्टों की प्रतिलिपि व बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करवायी गयी। जिनमें विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम पंचायत रतनपुरा, पंचायत समिति, संगरिया के द्वारा पंचायत समिति, संगरिया के कार्यालय से जारी पट्टा बही से क्रम संख्या 02, पट्टा संख्या 46 प्रारूप 23-ख (नियम 157 (2)) मे दिनांक 18.07.2018 को श्रीमती सर्वजीत कौर पत्नि श्री जगसीर सिंह को ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 18.07.2018 की पालना में दिनांक 05.08.2018 को पट्टा जारी किया गया। जिसमें उत्तर की ओर गली 75 फुट, दक्षिण की ओर गली 75 फुट, पूर्व की ओर गोविन्द सिंह 50 फुट व पश्चिम की ओर श्री जगराम 50 फुट कुल 3750 वर्गफुट यानी 416 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टे की राशि 200 /- रू० दिनांक 02.08.2018 को रसीद संख्या 04 के द्वारा रोकड बही में जमा की गयी।
2. ग्राम पंचायत रतनपुरा, पंचायत समिति, संगरिया के द्वारा पंचायत समिति, संगरिया के कार्यालय से जारी पट्टा बही से क्रम संख्या 02, पट्टा संख्या 48, प्रारूप 23-ख (नियम (2)) मे दिनांक 18.07.2018 को श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह को ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 18.07.2018 की पालना में दिनांक 05.08.2018 को पट्टे जारी किया गया। जिसमें उत्तर की ओर लीलूराम 150 फुट, दक्षिण की ओर गली 150 फुट, पूर्व की ओर गली 65 फुट व पश्चिम की ओर श्री जगसीर सिंह 65 फुट कुल 9750 वर्गफुट यानी 1083.30 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टे की राशि 200 /- रू० दिनांक 02.08.2018 को रसीद संख्या 05 के द्वारा रोकड बही में जमा की गयी।
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रतनपुरा के पत्रांक 67 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रस्तुत करवाये गये बैठक कार्यवाही रजिस्टर, रोकड बही की प्रतिलिपियों के अनुसार उक्त श्री गोविन्द सिंह व सर्वजीत कौर को जारी पट्टों की कार्यवाही का अंकन बैठक रजिस्टर में किया गया। जो निम्नानुसार है:-

ग्राम पंचायत, रतनपुरा की बैठक कार्यवाहियों के रजिस्टर की बैठक दिनांक 18.06.2018 के प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में पत्रावली गृह विनियमितीकरण प्राप्त हुई। जिसमें श्रीमती सर्वजीत कौर व श्री गोविन्द सिंह के आवेदन प्रस्तुत किये गये। उक्त आवेदन पर अवलोकन उपरान्त 03 पंचों की कमेटी का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठन किया गया। जिसमें पंच श्री निपाल सिंह, श्री बाबूलाल व श्री बनारसी को शामिल किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उक्त बैठक कार्यवाही में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवभगवान कूकणा व श्री संरपच श्री सतपाल के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि बैठक का आयोजन संरपच की अध्यक्षता में किया गया। श्री बाबूलाल, श्री हरिराम, श्रीमती मनप्रीत, श्री रामप्यारी, श्री बनारसी, श्रीमती परमजीत कौर, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती संतोष व श्री निरपाल सिंह के हस्ताक्षर है।

ग्राम पंचायत, रतनपुरा की बैठक कार्यवाहियों के रजिस्टर की बैठक दिनांक 05.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 04 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त श्रीमती सर्वजीत कौर व श्री गोविन्द सिंह की पत्रावली प्रस्तुत की



गयी। उक्त के संबंध में पंच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट अनुसार उक्त पत्रावलियों से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। उक्त जगह आबादी भूमि है। जोहड़ पायतन व सार्वजनिक भूमि नहीं है। कोई न्यायालय में विवाद नहीं है। अतः उक्त का पट्टा (गृह विनियमितिकरण) किया जाना उचित है। अतः बाद विचार विमर्श 10 दिन का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उक्त बैठक कार्यवाही में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवभगवान कूकणा व श्री संरपच श्री सतपाल के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि बैठक का आयोजन संरपच की अध्यक्षता में किया गया। श्रीमती रामप्यारी, श्री बनारसी, श्रीमती संतोष, श्री निरपाल सिंह व जीएसएस रतनपुरा के कार्मिक के हस्ताक्षर है।

ग्राम पंचायत, रतनपुरा की बैठक कार्यवाहियों के रजिस्टर की बैठक दिनांक 20.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 01 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त श्रीमती सर्वजीत कौर व श्री गोविन्द सिंह की पत्रावली प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्रावलियों के संबंध में आपत्ति नोटिस जारी किया गया। जिस पर आदिनांक तक किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त स्थल आबादी भूमि में है। न्यायालय में कोई विवाद नहीं है। किसी भी प्रकार का सुखाधिकार को प्रभावित नहीं कर रही है। उक्त स्थलों के गृह विनियमितिकरण दो सौ रुपये जमा करवाकर पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया। उक्त बैठक कार्यवाही में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवभगवान कूकणा व श्री संरपच श्री सतपाल के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि बैठक का आयोजन संरपच की अध्यक्षता में किया गया। श्री निरपाल सिंह, श्री रामलाल, श्री शेर सिंह, श्रीमती मनप्रीत कौर, श्रीमती रामप्यारी, श्री बनारसी व श्रीमती वीरपाल कौर के हस्ताक्षर / अगूठा निशान है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से निगरानी अधीन ग्राम पंचायत, रतनपुरा पंचायत समिति संगरिया द्वारा जारी पट्टा सं. 46 दिनांक 18.07.2018 जो कि 75 x 50 वर्गफुट (416.66 वर्गगज) पर जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत को निर्णय की प्रति सहित रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लक्ष्मी लाल मीना)
अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़